न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 61/2021

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. स्यादाराम पुत्र मथेलाराम जाति कम्बोज उम्र 68 वर्ष निवासी गांव 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।	1. गोमाराम पुत्र मथेलाराम जाति कम्बोज निवासी गांव 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 2. चानण राम पुत्र मथेलाराम जाति कम्बोज निवासी गांव 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान। (मृतक) 2/1 बसीबाई पत्नी चानणराम जाति कम्बोज निवासी गांव 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान। 2/2 सुभाष पुत्र चानणराम पुत्र मथेलाराम जाति कम्बोज निवासी गांव 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर 2/3 रणजीत पुत्र चानणराम पुत्र मथेलाराम जाति कम्बोज निवासी गांव 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर 2/4 जगदीश पुत्र चानणराम पुत्र मथेलाराम जाति कम्बोज निवासी गांव 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर 2/5 ईशवर देवी पुत्री चानण राम पत्नी कृष्ण लाल जाति कम्बोज निवासी गांव 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर 2/6 शिमला देवी पुत्री चानण राम पत्नी चम्बा राम जाति कम्बोज निवासी लटकणवाली ढ़ाणी अबोहर तहसील अबोहर 2/7 बिरमा पुत्री चानण राम पत्नी लेख राज जाति कम्बोज निवासी गांव 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर 2/8 राज रानी पुत्री चानण राम पत्नी देसराज जाति कम्बोज निवासी गांव 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर 3. नन्द लाल पुत्र मथेलाराम जाति कम्बोज निवासी गांव 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर 4. बागाराम पुत्र मथेलाराम जाति कम्बोज निवासी गांव 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर 5. राज कुमार पुत्र दोनाराम पुत्र मथेलाराम जाति कम्बोज निवासी गांव 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर 6. शलेन्द्र कुमार पुत्र दोनाराम पुत्र मथेलाराम जाति कम्बोज निवासी गांव 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर 7. राम देवी पत्नी दोनाराम पुत्र मथेलाराम जाति कम्बोज निवासी गांव 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर 8. सोना राम पुत्र मथेलाराम पुत्र मथेलाराम जाति कम्बोज निवासी गांव 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान। 9. बागा बाई पुत्री मथेलाराम जाति कम्बोज निवासी गांव 54 एफ तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर राजस्थान। (मृतक) 9/1 सतु राम पुत्र दरगाई राम जाति कम्बोज निवासी 54 एफ तहसील [illegible] राजस्थान। 9/2 विमल पुत्र स[illegible] कम्बोज निवासी 54 एफ तहसील [illegible] राजस्थान। 9/3 [illegible] पुत्री सतु रा[illegible] विनोद कुमार जाति कम्बोज निवासी 13 [illegible] श्रीकरणपुर 9/4 मधु पुत्री सतु [illegible] प्रमोद कुमार जाति कम्बोज निवासी 57 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर 10. तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:53:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 16.07.2021

उपस्थित: 1.श्री अशोक जोशी अधिवक्ता वादी

--निर्णय-- दिनांक: 16.08.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर के खाता संख्या 17/17 सम्वत 2076-79 के मुरब्बा नं0 18 के किला नं0 1 की 0.228 है0, किला नं0 2, 9 प्रत्येक 0.253 है0, किला नं0 10, 11 प्रत्येक 0.228 है0, किला नं0 12 की 0.253 है0, किला नं0 19/1 की 0.126 है0, किला नं0 20 की 0.227 है0, कुल 1.796है0 नहरी भूमि दिगर खातेदारान प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के साथ मुश्तरका खाता में वादी स्यादाराम के नाम 0. 257 है0 (1 बीघा 1/3 बिस्वा) नहरी भूमि बतौर खातेदारी दर्ज कागजात माल है। इसी प्रकार चक 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर में ही खाता संख्या 89/78, सम्वत 2076 से 2079 के मु0नं0 18 के किला नं0 5 व 6 प्रत्येक 0.228 है0, किला नं0 15 के 0.227 है0, किला नं0 16/1 की 0.202 है0, कुल 0.885 है0 नहरी, मु0नं0 19 के किला नं0 1, 2, 9, 10 ता 12 व 19 प्रत्येक की 0. 253 है0 व किला नं0 20/1 की 0.076 है0 कुल 1.847 है0 नहरी, मु0नं0 22 के किला नं0 2/2 की 0.063 है0, किला नं0 3 की 0.240 है0, किला नं0 4 की 0.114 है0, किला नं0 8 की 0.038 है0, किला नं0 9 की 0.202 है0, किला नं0 10 की 0.228 है0, किला नं0 11 की 0. 152 है0 व किला नं0 12 की 0.013 है0 कुल 1.050 है0 नहरी व मु0नं0 23 के किला नं0 1 ता 15 प्रत्येक 0.253 है0, किला नं0 16 की 0.164 है0, किला नं0 17 ता 23 प्रत्येक 0.253 है0 व किला नं0 24 की 0.177 है0 कुल 5.907 है0 नहरी कुल खाता का योग 9.689 है0 नहरी भूमि में दीगर प्रतिवादीगण के साथ वादी की नाम 1.230 है0 भूमि (4 बीघा 17 बिस्वा) कृषि भूमि बतौर खातेदारी दर्ज कागजात माल है। उक्त खातों में खातेदार भरावां बाई, चानण राम व भरवां बाई के वारिसान दोना राम तथा बागा बाई का देहान्त हो चुका है। चक 61 एफ के खाता संख्या 89/78 में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 की मां/दादी भरांवा बाई पत्नी मथेलाराम के नाम 1.078 है0 नहरी भूमि (4 बीघा 5-1/4 बिस्वा) के नाम बतौर खातेदारी दर्ज कागजात माल है, लेकिन भरावां बाई का देहान्त हो चुका है। जिसके वैध वारिसान वादी स्यादाराम प्रतिवादीगण गोमाराम, नन्द लाल, बागाराम, सोना राम, स्वर्गीय दोनाराम, स्व0 चानण राम व स्व0 बागा बाई है और दोनाराम, चानण व बागा बाई का भी देहान्त हो जाने से स्वर्गीय दोनाराम के वारिसान राज कुमार, शलेन्द्र कुमार व राम देवी, स्वर्गीय चानण के वारिसान बसीबाई, सुभाष, रणजीत, जगदीश, ईश्वर देवी, शीमला देवी, बिरमा बाई व राज रानी एवं स्वर्गीय बागा बाई के वारिसान सतुराम, विमल, शंकुन्तला व मधु है, इस प्रकार भरावां बाई के देहान्त से उसके हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण को विरास्तन प्राप्त हो चुकी है। जिसमें दोनाराम, चानण राम व बागा बाई के वारिसान भी संयुक्त 1/8-1/8 तथा वादी व अन्य शेष प्रतिवादीगण प्रत्येक 1/8-1/8 हिस्सा के स्वामी एवं अधिभोगी हो चुके है, तद्नुसार वादी घोषणा करवा पाने का हकदार है। इस प्रकार से वादी खाता संख्या 89/78 के खाता में अपने नाम दर्ज 4 बीघा 17 बिस्वा के अलावा अपनी माता से विरास्तन प्राप्त 1/8 हिस्सा अर्थात 0.135 हैक्टर भूमि प्राप्त कर पाने का हकदार हैं और इस प्रकार इस खाता में कुल 1.365 हैक्टर का खातेदार हो चुका है। इन दोनों खातों में वादी कुल 1.622 हैक्टर का खातेदार हैं, चूंकि दोनों खातों में वर्णित उक्त कृषि भूमि मुश्तर्का खाता में है, जिसका अब तक विधिवत रूप से किलावाईज विभाजन नहीं हुआ है, परन्तु सहखातेदारों ने अपनी काश्त सुविधाओं के लिए वाहमी तौर पर इन खातों की भूमि का वर्षों पूर्व किला[illegible] करते ही वे अपने-अपने हिस्सानुसार वाहमी विभाजन में आये किलाजात पर काबिज [illegible] आये है। इस वाहमी विभाजन में मुझ वादी को चक 61 एफ [illegible] 211 है0 दक्षिणी, किला नं0 10 की 0.228 है0, किला नं0 11 0.228 है0, किला [illegible] की 0. 227 हैक्टेयर (प्रत्येक की 18-18 बिस्वा) किला नं0 15 की 0.227 हैक्टेयर (18 [illegible]) [illegible] नं0 16/ 1 की 0.202 है0 (16 बिस्वा) तथा मु0नं0 23 के किला नं0 5 की 0.2[illegible]0 व किला नं0 6 की 0.042 है0, कुल 1.621 है0 नहरी भूमि प्राप्त हुई, तद्नुसार वह अपनी भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है और प्रतिवादीगण भी उनका विभाजन में आए अनुसार किलाजात पर काबिज चले आ रहे है। वादी प्रतिवादीगण को उपरोक्त मुश्तर्का खातों की कृषि भूमि का वर्षो पूर्व उनके मध्य हुये वाहमी विभाजन के अनुसार विधिक तौर पर किलावाईज विभाजन करवाने हेतु कई बार आग्रह किया, लेकिन वे इसे टालते रहे तथा अन्ततः आज से करीब 10 रोज पूर्व विभाजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:53:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

से इन्कार हो चुके है। यही विनाय दावा एवं मुखास्मत है। वादाधीन कृषि भूमि चक 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर में अवस्थित है जो माननीय न्यायालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में स्थित होने से वाद माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार का है। वाद-पत्र पूर्ण न्याय शुल्क एवं समयावधि के भीतर पेश किया जा रहा है। अतः वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 53,88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद-पत्र वादी निम्नानुसार डिक्री फरमावे कि चक 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर के खाता संख्या 17/17 सम्वत 2076-79 के मुरब्बा नं0 18 की कुल 1.796 है0 नहरी भूमि में वादी के नाम दर्ज 0.257है0 नहरी भूमि एंव चक 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर के ही खाता संख्या 89/78, सम्वत 2076 से 2079 के मु0नं0 18 की 0.885 है0 नहरी मु0नं0 19 की 1.847 है0 नहरी, मु0नं0 22 की 1.050 है0 नहरी व मु0नं0 23 की 5.907 है0 नहरी कुल खाता का योग 9.689 है0 नहरी में वादी के नाम दर्ज 1.230है0 नहरी भूमि तथा इसी खाता संख्या 89/78 सम्वत्त 2076-2079 में स्व0 भरांवाबाई के नाम दर्ज 1.078है0 में से वादी को विरास्तन प्राप्त 1/8 हिस्सा (अर्थात 0.135है0) नहरी भूमि अर्थात दोनों खातों में वादी के नाम दर्ज कुल 1.487है0 एंव भरांवा बाई से विरास्तन प्राप्त 0.135 है0 नहरी समस्त कुल 1.622है0 नहरी भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर वाहमी विभाजनानुसार किला वाईज विभाजन की डिक्री पारित की जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2/1 ता 2/8, 3, 5, 6, 7, 9/1 ता 9/4 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 1, 4, 8 न्यायालय में स्वंय उपस्थित आए व जवाबदावा पेश नहीं करने व आगामी तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2/1 ता 2/8, 3 ता 8, 9/1 ता 9/4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गये। वादी अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण मे प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। इसलिये प्रकरण मे प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादी अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम चक 61 एफ, पटवार हल्का मुकन 61 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 17/17 के मु.न. 18 व खाता संख्या 89/78 के मुरब्बा नम्बर 18, 19,22, 23 की भूमि में वादी के हिस्सा में 1.622 हैक्टर भूमि आई हुई है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादी के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री के राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस अधिवक्तागण व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:53:29 IST
Reason: SelfAttested

-:आदेश:-

अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम चक 61 एफ, पटवार हल्का मुकन 61 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 17/17 के मु.न. 18 व खाता संख्या 89/78 के मुरब्बा नम्बर 18, 19,2 2, 23 की भूमि में वादी स्यादाराम के हिस्सा में 1.622 हैक्टर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	स्यादाराम पुत्र मथेलाराम जाति कम्बोज निवासी 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर।	61 एफ	18	01	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.62
				10	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.62
				11	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.62
				15	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.62
				16/1	0.202 हैक्टेयर	नहरी	1.44
				20	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.62
			23	05	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.80
				06	0.028 हैक्टेयर	नहरी	0.20

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 16.08.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:53:29 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)
स्यादा राम बनाम गोमा राम आदि
धारा अन्तर्गत **53, 88 आरटीए** मुकदमा नं. **61/2021**
निर्णय दिनांक :- 16.08.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जोशी** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम चक 61 एफ, पटवार हल्का मुकन 61 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 17/17 के मु.न. 18 व खाता संख्या 89/78 के मुरब्बा नम्बर 18, 19,2 2, 23 की भूमि में वादी स्यादाराम के हिस्सा में 1.622 हैक्टर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र.स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	स्यादाराम पुत्र मथेलाराम जाति कम्बोज निवासी 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर।	61 एफ	18	01	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.62
				10	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.62
				11	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.62
				15	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.62
				16/1	0.202 हैक्टेयर	नहरी	1.44
				20	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.62
			23	05	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.80
				06	0.028 हैक्टेयर	नहरी	0.20

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 22.08.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	300	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	304	**00**	योग	**00**	**00**

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:53:29 IST
Reason: SelfAttested

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर
दिनांक: 22.08.2023

क्रमांकः रीडर/ 2023/449
प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि, उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर